

बिहार राज्य के सभी नागरिकों* के लिए
सभी सरकारी अस्पतालों एवं चयनित निजी अस्पतालों में

कोरोना वैक्सीन निःशुल्क

*60 वर्ष से ऊपर तथा 45 से 59 वर्ष के
गंभीर रोगों से ग्रसित आमजन



टीकाकरण हेतु लाभार्थी की पात्रता

- सभी निजी/सरकारी स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स।
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति (दिनांक: 01 जनवरी, 2021 को)।
- 40 से 59 वर्ष के बीच ऐसे महिला / पुरुष जो गंभीर रोगों (कोमोर्बिडीटी- सूची पोर्टल पर उपलब्ध) से ग्रसित हो तथा उनके पास पंजीकृत चिकित्सक के स्तर से निर्गत 'कोमोर्बिडीटी प्रमाण-पत्र' उपलब्ध हो।

टीकाकरण के लिए
1 मार्च
से पंजीकरण प्रारंभ

उपलब्ध सुविधाएँ

- पूर्व पंजीकरण की सुविधा Portal-<https://www.cowin.gov.in> या 'आरोग्य सेतु ऐप' पर उपलब्ध।
- ऑनसाईट पंजीकरण की सुविधा चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्ध।
- चिन्हित कोविड वैक्सीनिशन सेंटर की सूची Portal एवं 'आरोग्य सेतु ऐप' पर उपलब्ध।
- निबंधन हेतु लाभार्थी के पास आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर (स्वयं/परिवार के किसी सदस्य/अन्य) होना अनिवार्य।
- लाभार्थी के लिए अपने निकटतम चिन्हित कोविड वैक्सीनिशन सेंटर के चयन की सुविधा उपलब्ध।
- साथ-ही उपलब्ध स्लॉट में से अपनी सुविधानुसार टीकाकरण की तिथि का चयन स्वयं करने की सुविधा उपलब्ध।




पोर्टल एवं आरोग्य सेतु पर पंजीकरण की प्रक्रिया

1




पंजीकरण हेतु Portal-
<https://www.cowin.gov.in>
पर जायें

2



पंजीकरण हेतु लिंक
पर क्लिक करें

3



लाभार्थी अपनी सुविधानुसार
टीकाकरण केन्द्र एवं उपलब्ध स्लॉट से
तिथि का चयन कर सकते हैं

विस्तृत जानकारी हेतु डॉयल करें-



टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर:

104

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय/रिफरल अस्पताल और सभी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (3 मार्च से) तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध चिन्हित 50 निजी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।